

27-3-20

उभय पक्ष उपस्थित पीठारीय अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 8.5.20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

8-5-20

उभय पक्ष उपस्थित पीठारीय अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 24.5.20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29-5-20

उभय पक्ष उपस्थित पीठारीय अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 14.8.20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

14-8-20

पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक को पेश हो।
25-8-20

25-8-20

उभय पक्ष उपस्थित पीठारीय अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 15.9.20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

15-9-20

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, अप्रार्थीगण
के सम्मन बाद लागिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल
पत्रावली किये गये। वलसीलदर माडल से मांडा निष्पत्ति
प्राप्त हुई जिसे शा.प० किया गया। अप्रार्थीगण
को कितनी मर्तबा आवाजे दिलार्या जाने उपरान्त भी
उपस्थित नहीं, इनके विकल्प एक तरफा कार्यवाही
किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थीगण
मे बहस करनी चाही। बहस सुनी गई। वकील
प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर
निर्णय प्रपक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली
किया गया। पत्रावली फंसल शुमार की जाकर
मम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला मीलवाड़ा



राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

प्रसीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

समा संख्या - 170/19 प्र.पत्र

श्री अंबरलाल जोशी जमा शुर्जर निवासी - दौंडारा तहसील-माण्डल
श्रीमती पद्म लो श्री जमा शुर्जर

-प्रार्थी

बनाम

श्री सुकेल जोशी सोहनलाल शुर्जर निवासी - दौंडारा तहसील-माण्डल (वर्ग)
(सादाकित 91 पत्र संख्या)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 15.03.20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन केया कि ग्राम.....दौंडारा.....पटवार हल्का दौंडारा.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. सादाकित पिकले एर. पत्र संख्या कुल किता.....08.....रकबा.....02.....वीघा.....18.....विस्वा. रिथत है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22.11.19.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....दौंडारा.....पटवार हल्का.....दौंडारा.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. सादाकित पिकले एर. पत्र संख्या कुल किता.....08.....रकबा.....02.....वीघा.....18.....विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....पीठाराय.....400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा